

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 14/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा0का0नि0 129(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रान्त करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों या लोपों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन रिकार्डेड सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मीडिया कहा गया है), जिस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उक्त मीडिया के पैकेज पर उसका खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करना अपेक्षित नहीं है, को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिसका अवधारण उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया गया है और जो उक्त मीडिया पर अभिलिखित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के भाग पर संदेय उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है और जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ड के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है :

परन्तु विनिर्माता उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के संबंध में यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को घोषणा करेगा, जो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ड के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है :

परन्तु यह और कि सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति सेवा कर नियम, 1994 के नियम 4 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस पर उदग्रहणीय सेवा कर का संदाय करने का वचनबंध करता है ।

उपाबंध 1

1. विनिर्माता का नाम :
2. विनिर्माता का पता :
3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि रजिस्ट्रीकृत है) :
4. सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति का सेवा कर रजिस्ट्रीकरण :
सेवा में
 - (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त/प्रधान आयुक्त (अधिकारिता रखने वाला), (पूर्ण पता)
 - (ii) सेवा कर आयुक्त/प्रधान आयुक्त (अधिकारिता रखने वाला कार्यपालक और लेखापरीक्षा संबंधी अधिकारिता रखने वाला), (पूर्ण पता) [ऊपर (i) के माध्यम से]

महोदय,

मैं, यह घोषणा करता हूं कि,

1. मैंने माह,वर्ष को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन रिकार्ड्ड सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया का विनिर्माण करने के उपरान्त उसकी निकासी की है । मैंने अधिसूचना सं0 11/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 के फायदे का लाभ लिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त मूल्य, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ड के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है और जो रुपए है ।
2. मैंने उपलब्ध कराई गई सेवा के ऐसे मूल्य पर सेवा कर का संदाय कर दिया है (जीएआर-7 चालान संलग्न है) या मैं सेवा कर का संदाय करने का वचनबंध करता हूं, जिसके लिए मैं सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ... के अधीन (सेवा कर प्रधान आयुक्त या सेवा कर आयुक्त की अधिकारिता से संबंधित ब्यौरे) के पास रजिस्ट्रीकृत हूँ ।

विनिर्माता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और हस्ताक्षर

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क. कालिमुत्तु)

अवर सचिव, भारत सरकार